

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 337/2017 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

पदमाराम वगैरा बनाम आदुराम वगैरा

पीठासीन अधिकारी - श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस

प्रार्थीगण वकील - श्री वीरमाराम धारासर

**निर्णय**

**दिनांक - 13.06.2018**

पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 लोक अदालत/कोर्ट कैम्प केकड़ में पेश हुई। प्रार्थीगण व विप्रार्थी सं. 6,12,14,16 उपस्थित। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि सरहद मौजा आदर्श केकड़, पटवार क्षेत्र केकड़, तहसील सेड़वा में खसरा सं. 950/374 रकबा 43.17 बीघा, खसरा सं. 953/374 रकबा 01.05 बीघा, खसरा सं. 951/374 रकबा 25.00 बीघा, खसरा सं. 963/414 रकबा 18.18 बीघा, खसरा सं. 952/374 रकबा 38.10 बीघा, खसरा सं. 1021/374 रकबा 01.02 बीघा खसरा सं. 373 रकबा 00.12 बीघा, खसरा सं. 949/374 रकबा 126.01 बीघा, खसरा सं. 1022/374 रकबा 01.02 बीघा, खसरा सं. 972/374 रकबा 00.08 बीघा, खसरा सं. 973/374 रकबा 00.08 बीघा, खसरा सं. 1025/374 रकबा 01.02 बीघा, खसरा सं. 1026/374 रकबा 01.02 बीघा (मूल खसरा सं. 374 रकबा 259.07 बीघा) स्थित है। प्रार्थीगण के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पड़ोसी है। जिनके खेत प्रार्थीगण के खेत के पड़ोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेडों को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण की दरखास्त दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थीगण के वक्त काश्त प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थी की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।


अतः प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि सरहद मौजा आदर्श केकड़, पटवार क्षेत्र केकड़, तहसील सेड़वा में खसरा सं. 950/374 रकबा 43.17 बीघा, खसरा सं. 953/374 रकबा 01.05 बीघा, खसरा सं. 951/374 रकबा 25.00 बीघा, खसरा सं. 963/414 रकबा 18.18 बीघा, खसरा सं. 952/374 रकबा 38.10 बीघा, खसरा सं. 1021/374 रकबा 01.02 बीघा खसरा सं. 373 रकबा 00.12 बीघा, खसरा सं. 949/374 रकबा 126.01 बीघा, खसरा सं. 1022/374 रकबा 01.02 बीघा, खसरा सं. 972/374 रकबा 00.08 बीघा, खसरा सं. 973/374 रकबा 00.08 बीघा, खसरा सं. 1025/374 रकबा 01.02 बीघा, खसरा सं. 1026/374 रकबा 01.02 बीघा (मूल खसरा सं. 374 रकबा 259.07 बीघा) भूमि की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को रुपये 500/- फीस पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते हैं कि वो दोनों पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि किसी संक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनों पक्षों के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त में परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो। कमीश्नर को कमीश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे।

कमीश्नर को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थीगण के खसराओं की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फौसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.06.2018 को न्याय आपके द्वार 2018 लोक अदालत/कोर्ट कैम्प केकड़ में सुनाया गया।



  
(भूपेन्द्र कुमार यादव)  
उपखण्ड अधिकारी, चौहटन  
बाड़मेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2018/ 1496  
प्रार्थीगण :-

1.पदमाराम 2.पाबूराम 3.रेखाराम  
पि.उर्जाराम 4.हरजीराम पुत्र मोटाराम  
जाति जाट, निवासी आदर्श केकड़  
तहसील सेड़वा।

दिनांक 27/6/18

विप्रार्थीगण:-

1.आदूराम पुत्र रावताराम  
एवं विप्रार्थी सं. 2 से 5 जाति जाट  
निवासी बामड़ला  
6.पदमाराम पुत्र विरधाराम एवं विप्रार्थी सं.  
7 से 16 जाति जाट  
17.पोकरराम पुत्र उर्जाराम एवं विप्रार्थी सं. 18 से  
26 जाति मेगवाल 27.भेरसिंह 28.कालूसिंह पि.  
आसूसिंह 29.पाबूसिंह पुत्र शिवनाथसिंह जाति  
राजपूत, निवासी आदर्श केकड़, तहसील सेड़वा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 337/2017

दिनांक : 13.06.2018

आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेड़वा, पटवार क्षेत्र केकड़ के मौजा आदर्श केकड़, पटवार क्षेत्र केकड़, तहसील सेड़वा में खसरा सं. 950/374 रकबा 43.17 बीघा, खसरा सं. 953/374 रकबा 01.05 बीघा, खसरा सं. 951/374 रकबा 25.00 बीघा, खसरा सं. 963/414 रकबा 18.18 बीघा, खसरा सं. 952/374 रकबा 38.10 बीघा, खसरा सं. 1021/374 रकबा 01.02 बीघा खसरा सं. 373 रकबा 00.12 बीघा, खसरा सं. 949/374 रकबा 126.01 बीघा, खसरा सं. 1022/374 रकबा 01.02 बीघा, खसरा सं. 972/374 रकबा 00.08 बीघा, खसरा सं. 973/374 रकबा 00.08 बीघा, खसरा सं. 1025/374 रकबा 01.02 बीघा, खसरा सं. 1026/374 रकबा 01.02 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति न हो तो उपरोक्त भूमि की मौके की स्थिति व कब्जा काश्त में परिवर्तन किये बिना पेमाईश कर नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे। नेखमबंदी के दौरान किसी बिंदु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2018/ 1497 to 1500  
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार सेड़वा
2. प्रार्थीगण पदमाराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण आदूराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/सेड़वा/धौरीमन्ना/बाखासर

(भूपेन्द्र कुमार यादव)

उपखण्ड अधिकारी, चौहटन

दिनांक 27/6/18

उपखण्ड अधिकारी

सहायक कमिशनर  
चौहटन